उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग

18-ए न्याय मार्ग, इलाहाबाद - 211 001 (उ०प्र०)

विज्ञापन संख्या - 48

दिनांकः 09 मई, 2017

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित परिनियमों में निर्धारित न्यूनतम अर्हता धारित अभ्यर्थियों से **अनुमन्य वेतनमान (रू. 37400-67000 ग्रेड वेतन - 10000)** तथा भत्तों सहित निम्न विवरणानुसार प्रदेश के अनुदानित अशासकीय **स्नातकोत्तर/स्नातक महाविद्यालयों** में **रिक्त प्राचार्य** पदों के सापेक्ष **284 पदों** पर चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

(क) स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पुरूष) - संख्या : 159

(ख) स्नातकोत्तर महाविद्यालय (महिला) - संख्या : 37

(ग) स्नातक महाविद्यालय (पुरूष) - संख्या : 71

(घ) स्नातक महाविद्यालय (महिला) - संख्या : 17

- **उपरोक्त में विधि महाविद्यालय (स्नातक पुरूष) - संख्या : 01**
- **उपरोक्त में बी.एड. महाविद्यालय (स्नातक पुरूष) - संख्या : 03**
- **उपरोक्त में बी.एड. महाविद्यालय (स्नातकोत्तर पुरूष) - संख्या : 01**
- **उपरोक्त में बी.एड. महाविद्यालय (स्नातकोत्तर महिला) - संख्या : 01**

1. स्नातकोत्तर महाविद्यालय (पुरुष), स्नातकोत्तर महाविद्यालय (महिला), स्नातक महाविद्यालय (पुरुष), स्नातक महाविद्यालय (महिला), विधि महाविद्यालय, बी.एड. महाविद्यालय का विवरण आयोग के पोर्टल **www.uphesconline.in** पर "View Advertisement" आईकन को क्लिक करके देखा जा सकता है।
2. इच्छुक अभ्यर्थी जो **01 जुलाई, 2016** को **62 वर्ष** से अधिक आयु के नहीं है और पद हेतु विहित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता आवेदन स्वीकार किये जाने की अंतिम तिथि तक धारित करते हैं, वे आयोग के पोर्टल **www.uphesconline.in** पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आनलाइन ही स्वीकार किये जायेंगे। डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
3. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन व आवेदन-पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में ही भरा जाना है। शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (API) प्रोफार्मा अंग्रेजी अथवा हिन्दी भाषा में भरा जा सकता है। हिन्दी में API भरने के लिए यूनीकोड फान्ट - मंगल का प्रयोग ही मान्य होगा। अन्य किसी भी फान्ट में हिन्दी में भरा गया API प्रोफार्मा स्वीकार नहीं किया जावेगा तथा आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।
4. विज्ञापन से सम्बन्धित आनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया, शैक्षिक अर्हता, पठ्यक्रम, शैक्षिक प्रदर्शन सूचक प्रोफार्मा व अन्य समस्त विस्तृत विवरण/दिशा निर्देश आयोग के पोर्टल **www.uphesconline.in** पर उपलब्ध है। इस पोर्टल पर आयोग की वेबसाइट **www.uphesc.org** पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी पहुँचा जा सकता है।
5. आवेदन पत्र प्राप्त होने की **अंतिम तिथि 13 जुलाई, 2017** है। इस तिथि के उपरान्त प्राप्त अथवा अपूर्ण आनलाइन आवेदन-पत्रों को बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा।
6. **शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (Academic Performance Indicator)** प्रोफार्मा मय साक्ष्यों के आयोग कार्यालय में प्राप्ति की **अंतिम तिथि 13 अगस्त, 2017** है।
7. **शैक्षिक प्रदर्शन सूचक (Academic Performance Indicator)** प्रोफार्मा को आनलाइन न भरने अथवा आनलाइन भरे हुए प्रोफार्मा के प्रिंट को मय साक्ष्यों के आयोग कार्यालय में अंतिम तिथि तक प्राप्त न होने पर आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा।
8. उक्त पद के आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित आवेदन शुल्क निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क
1.	सामान्य	₹ 3000.00
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	₹ 3000.00
3.	अनु0 जाति	₹ 2000.00
4.	अनु0 जनजाति	₹ 2000.00

ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क (जमा करने के विकल्प के आधार पर) निम्न प्रकार देय होगा।	
क्रेडिट कार्ड द्वारा	अवेदन शुल्क का 1% + सर्विस टैक्स
डेबिट कार्ड द्वारा	₹ 2000/- आवेदन शुल्क पर आवेदन शुल्क का 0.5% + सर्विस टैक्स
	₹ 3000/- आवेदन शुल्क पर आवेदन शुल्क का 1% + सर्विस टैक्स
PNB की नेट बैंकिंग से	₹ 02.00 + सर्विस टैक्स
अन्य बैंकों की नेट बैंकिंग से	₹ 10.00 + सर्विस टैक्स
ई चालान द्वारा	₹ 15.00

9. महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
10. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों व शारीरिक विकलांग जो उ0प्र0 के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे।
11. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थिओं को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।
12. निदेशक उच्च शिक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गए अधियाचन के अनुसार प्राचार्य पदों में क्षैतिज आरक्षण व श्रेणीवार आरक्षण शून्य है।
13. पुरूष अभ्यर्थी स्नातकोत्तर (महिला) अथवा स्नातक (महिला) महाविद्यालयों के प्राचार्य पदों के लिए अर्ह नहीं होंगे।
14. महिला अभ्यर्थी स्नातकोत्तर एवं स्नातक (महिला/पुरूष) चारों प्रकार के महाविद्यालयों के प्राचार्य पदों के लिए अर्ह होंगी।
15. अभ्यर्थी आवेदन करते समय यह भलीभांति सुनिश्चित कर लें कि जिस पद के लिए वे आवेदन कर रहे हैं उसके लिए विज्ञापन में दी गयी अर्हता आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक धारित करते हैं, तभी आवेदन करें। विज्ञापित पदों हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से कम योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि आवेदन करते हैं तो इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे।
16. अभ्यर्थियों को परीक्षा/साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने पर उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
17. परीक्षा/साक्षात्कार/नियुक्ति हेतु किसी भी रूप में सिफारिश अयोग्यता मानी जायेगी तथा परीक्षा/साक्षात्कार/नियुक्ति हेतु अनर्ह पाए गए अभ्यर्थियों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।
18. आनलाइन आवेदन पत्र में गलत सूचना देने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन/नियुक्ति किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है।
19. रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
20. विज्ञापन के किसी पद विशेष का बिना चयन करने/न करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
21. आनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी यदि किसी प्रकार की कठिनाई का निवारण चाहते हैं तो किसी भी कार्यदिवस में आयोग के **हेल्प लाइन नम्बर 7518404901** या **7518404902** पर संपर्क कर सकते हैं।

सचिव

Size - 8 x 29 = 232 Sq. Cm.